

कार्यालय पंजीयक  
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
दूरभाष : 0771-2511920, फ़ैक्स नं. 2511918, ईमेल - rcs.coop@nic.in

क्र./साख-2/न.क्र.34-II/2023/3206 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 17.08.2023

प्रति,

1. प्रबंध संचालक.  
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,  
रायपुर.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी.  
जिला सहकारी बैंक मर्यादित,  
(समस्त) ..... (छ.ग.)
3. संवर्ग समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधक.  
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित,  
(समस्त) ..... (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित व्यक्तिगत एवं संस्थागत कृषि/अकृषि ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023 लागू करने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित पुराने व्यक्तिगत तथा संस्थागत कृषि/अकृषि ऋणों के गैर निष्पादित/अनर्जक अस्तियों (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत हो जाने से इन संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन संस्थाओं के अनर्जक खातों में काफी मात्रा में राशि अवरुद्ध है तथा पुनः परिचालन में नहीं आ पा रही है। ऐसे व्यक्तिगत तथा संस्थागत कृषि/अकृषि ऋण खातों में अवरुद्ध बकाया राशि को बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में एकमुश्त समझौता योजना के दायरे में लाकर वसूली करते हुए पुनः साख-चक्र में लाने के उद्देश्य से एकमुश्त ऋण राहत योजना की स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों के प्रस्तावों पर विचार पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित व्यक्तिगत एवं संस्थागत कृषि/अकृषि ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023 की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित संस्था योजना का क्रियान्वयन बोर्ड में अंगीकार करने के पश्चात् करेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(परिशिष्ट पेज क्र. 01 से 06 तक)

(रमेश कुमार शर्मा)  
पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ.क्र./साख-2/न.क्र.34-II/2023/3206 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 17 .08.2023  
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, महादेव घाट रोड़, सुन्दर नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, .....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
पंजीयक  
7/08/2023  
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

## एकमुश्त समझौता योजना, 2023

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित अत्यधिक पुराने कृषि/अकृषि ऋणों के गैर निष्पादित/अनर्जक अस्तियों (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत हो जाने से बैंकों के वित्तीय पत्रकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन संस्थाओं के अनर्जक खातों में काफी मात्रा में राशि अवरूद्ध है तथा पुनः परिचालन में नहीं आ पा रही है। ऐसे कृषि/अकृषि ऋण खातों में अवरूद्ध बकाया राशि को बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में एकमुश्त समझौता योजना के दायरे में लाकर वसूली करते हुए पुनः साख-चक्र में लाने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की जा रही है। योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

(1) योजना का नाम :- इस योजना को "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित कृषि/अकृषि ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023" के नाम से जाना जायेगा।

(2) उद्देश्य :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- i. अशोध्य एवं संदिग्ध कृषि/अकृषि ऋण की वसूली कर राशि को पुनः साख-चक्र में लाना।
- ii. गैर निष्पादित/अनर्जक अस्तियों (एन.पी.ए.) में कमी लाना, ताकि बैंकों/सोसाइटियों को परिचालनात्मक लाभ में से समुचित प्रावधान करने की आवश्यकताओं से छुटकारा मिलने के साथ-साथ संस्थाओं की लाभ एवं निधियों में वृद्धि हो।
- iii. ऋण की वसूली पर होने वाले व्यय को कम करने के साथ-साथ इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को संस्था के कार्य में नियोजित कर संस्था की कार्य दक्षता में वृद्धि लाना।
- iv. ऐसे ऋणी, जिनकी अचल सम्पत्ति ऋण की जमानत स्वरूप रहन रखी हुई है एवं ऋण समय पर नहीं चुका पाने के कारण अचल सम्पत्ति पर डिक्री जारी हो चुकी है, के इस प्रकार के ऋणों को इस योजना में सम्मिलित करते हुए उन्हें पुनः अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ वसूली से सम्बन्धित कानूनी मामलों में कमी लाना।
- v. ऐसे ऋणी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ऋणी का काफी लम्बे समय से कोई अता-पता नहीं है, के प्रकरण में उनके उत्तराधिकारी/प्रतिभू (गारण्टर) को ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना।
- vi. ऐसे ऋण, जिसमें सम्पत्तियां प्रतिभूति के रूप में रखी गयी हैं तथा उनका ह्रास हो गया है या वे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हैं, के लिए सहत देते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित करना।

(3) योजना का कार्यक्षेत्र :-

योजना के कार्यक्षेत्र में राज्य की अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से जुड़ी समस्त संस्थाएं यथा- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित कृषि/अकृषि कालातीत ऋण शामिल होंगे।

(4) योजना की अवधि :-

संस्था द्वारा योजना लागू होने के पश्चात् यथासंभव प्रथम त्रैमास में ही सभी प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा, किन्तु योजना की प्रवर्तन अवधि जारी दिनांक से दिनांक 30/09/2024 तक होगी।

(5) योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण :-

योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के ऋण प्रकरण शामिल होंगे :-

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा वितरित सभी प्रकार के व्यक्तिगत एवं संस्थागत कृषि/अकृषि ऋणों की गैर निष्पादित आस्तियाँ चाहे उनकी प्रकृति किसी भी व्यवसाय, गतिविधियाँ/उद्देश्य से संबंधित हो, जो दिनांक 31/03/2022 पर 06 वर्ष से अधिक कालातीत एवं संदिग्ध हो गये हो एवं जिनके विरुद्ध संस्था द्वारा शत प्रतिशत प्रावधान किया जा चुका हो।

स्पष्टीकरण :-

1. योजना के तहत व्यक्तिगत ऋणियों का तात्पर्य व्यक्ति विशेष, संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी (प्रा.लि.कं.) की तरफ से बकाया से है।
2. संस्थागत ऋणियों में सहकारी संस्थाओं तथा अन्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाओं को सम्मिलित किया जायेगा।
3. स्व-सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों एवं परिसमापनाधीन सहकारी समिति की ओर से बकाया ऋण प्रकरण भी पात्र होंगे।

(6) योजनान्तर्गत अपात्र ऋण प्रकरण :-

- i. गबन-धोखाधड़ी एवं जानबूझकर चूककर्ता के प्रकरण।
- ii. ऋण का दुरुपयोग अर्थात् ऋण जिस उद्देश्य हेतु लिया गया है, उसके अलावा अन्य कारणों पर ऋण का उपयोग किया गया हो।
- iii. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के तत्कालीन बोर्ड के सदस्यों एवं संबंधित बैंक/सोसाइटियों के कर्मचारियों तथा उनके रक्त संबंधियों के ऋण प्रकरण।
- iv. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के तत्कालीन बोर्ड के सदस्यों एवं संबंधित बैंक/सोसाइटियों के कर्मचारियों की गारंटी पर दिये गये ऋण।

(7) योजनान्तर्गत पात्रता के लिये वसूली प्रयासों की स्थिति :-

योजनान्तर्गत किसी प्रकरण को शामिल करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था द्वारा वसूली के सामान्य प्रयासों से ऋण प्रकरण में वसूली संभव नहीं हो पाई है तथा ऋणी को समय-समय पर तकाजा पत्रों, व्यक्तिगत संपर्कों के अलावा वसूली हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अथवा अन्य सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो तथा प्रक्रियाधीन हो।

इसी दौरान ऋणी को समझाईश का मौका दिये जाने के बतौर एकमुश्त समझौते का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाना होगा। अगर ऋणी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अथवा अन्य सुसंगत कानूनी प्रक्रिया (जो भी लागू हो) के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही जारी रहेगी।

(8) योजनान्तर्गत राहत का निर्धारण (सैटलमेंट फार्मूला) :-

समझौता राशि = (एन.पी.ए. वर्गीकरण दिनांक पर कुल बकाया ऋण अथवा समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋण, दोनों में से जो भी कम हो) + (उक्त कुल बकाया ऋण पर 06 प्रतिशत साधारण ब्याज)

टीप :- समझौता दिनांक तक ऋण खाते में अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय एवं अन्य व्यय की छूट भी संस्था द्वारा दी जाएगी।

(9) योजनान्तर्गत एकमुश्त समझौता सम्पन्न राशि का भुगतान :-

- समझौता में वसूली योग्य राशि एकमुश्त में वसूल की जाएगी। यदि ऋणी एक किस्त में भुगतान नहीं कर सकता है तो उसे समझौता निष्पादन दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम से कम 25% राशि तथा शेष राशि अधिकतम दो किस्तों में योजना की प्रवर्तन अवधि समाप्ति से पूर्व चुकाना अनिवार्य होगा, जिस पर उसे उपरोक्त समझौता निष्पादन दिनांक से अंतिम भुगतान दिनांक तक वर्तमान प्रचलित दर पर वार्षिक ब्याज देय होगा। निर्धारित समयावधि में किस्त की राशि जमा न होने पर यह समझौता स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।
- इस तिथि के बाद इस योजना के अन्तर्गत राहत (छूट) देय नहीं होगी तथा यदि ऋणी द्वारा कोई राशि जमा करा दी गयी है, तो वह उसके खाते में बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी।

परन्तु, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऋणी की वास्तविक असमर्थता, कारणों को दृष्टिगत रखते हुए समझौता कमेटी, उसके लिखित आवेदन पर आगामी 03 माह का रियायत अवधि प्रदान करने हेतु अपने स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी, बशर्ते कि, ऋणी द्वारा समझौता अंतर्गत देय राशि का कम से कम 50% भुगतान निर्दिष्ट अवधि से पूर्व कर दिया गया हो।



(10) एकमुश्त समझौता हेतु सलाहकार कमेटी :-

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रकरणों हेतु -

I. अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी	-	अध्यक्ष
II. प्रबंध संचालक	-	संयोजक सदस्य
III. प्रकरण से संबंधित संभाग के संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं	-	सदस्य
IV. उप महाप्रबंधक (लेखा एवं वित्त)	-	सदस्य
V. सहायक महाप्रबंधक (ऋण शाखा)	-	सदस्य
VI. सांविधिक अंकेक्षक	-	सदस्य
VII. शाखा प्रबंधक, संबंधित शाखा	-	सदस्य

(ब) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रकरणों हेतु -

I. अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी / प्रशासक	-	अध्यक्ष
II. प्रकरण से संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	-	सदस्य
III. मुख्य कार्यपालन अधिकारी	-	संयोजक सदस्य
IV. प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक	-	सदस्य
V. कक्ष प्रभारी (लेखा एवं वित्त)	-	सदस्य
VI. कक्ष प्रभारी (ऋण शाखा)	-	सदस्य
VII. सांविधिक अंकेक्षक	-	सदस्य
VIII. शाखा प्रबंधक, संबंधित शाखा	-	सदस्य

(स) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के प्रकरणों हेतु -

I. अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी / प्रशासक	-	अध्यक्ष
II. संबंधित सहकारिता विस्तार अधिकारी	-	सदस्य
III. शाखा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	-	सदस्य
IV. पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	-	सदस्य
V. संपरीक्षक	-	सदस्य
VI. संवर्ग समिति प्रबंधक / समिति प्रबंधक	-	संयोजक सदस्य

(11) समझौता हेतु सक्षम प्राधिकारी :-


योजनांतर्गत समझौता हेतु संबंधित संस्था का बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण योजना की कंडिका 10 में गठित सलाहकार कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी की अनुशंसा पर समझौते के अन्तर्गत राहत (छूट) राशि संबंधी सभी निर्णय संस्था के बोर्ड की बैठक में लिया जायेगा।

(12) योजना के क्रियान्वयन की शर्तें :-

- i. इस योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित संस्था के बोर्ड द्वारा योजना के अंगीकरण पश्चात् ही किया जायेगा।
- ii. योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी तथा स्वविवेक का स्थान नहीं होगा।
- iii. संस्था द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा संस्था द्वारा ऐसे सभी ऋणी खातेदारों को पत्र द्वारा भी अनिवार्यतः सूचित किया जायेगा।
- iv. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचना, संस्था द्वारा लिखित में संबंधित हितग्राहियों को तामिल कराए जाने के अतिरिक्त, हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS भेजकर, संस्था के अधिकृत वेबसाईट में सूचना प्रकाशन कर, संस्था के कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारित न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कर तथा संस्था के प्रत्येक शाखा में नोटिस बोर्ड में चस्पा कर हितग्राहियों को दी जाएगी।
- v. योजना लागू होने के दिनांक से 01 सप्ताह के भीतर दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन, 01 माह के भीतर सूचना की तामिली की जानी होगी तथा हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण 01 माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- vi. प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजी में क्रमशः पंजीबद्ध किया जायेगा।
- vii. योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संबंधी कार्यवाही से आवेदक को कारण सहित अवगत कराया जायेगा।
- viii. संस्था में एकमुश्त समझौता योजना लागू होने से पूर्व प्रस्तुत, स्वीकृत या लंबित समस्त आवेदन निरस्त माने जायेंगे, केवल योजना लागू होने के बाद प्राप्त नए आवेदन ही ग्राह्य किये जायेंगे।
- ix. एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राहत (छूट) की राशि संबंधित संस्था द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। इसके लिए शासन, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई भी वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
- x. योजना के दायरे में लाये गये समस्त ऋण प्रकरणों एवं राहत (छूट) प्रदान की गयी राशि की विस्तृत जानकारी, जिसमें योजना से लाभान्वित ऋणियों के नामवार राहत राशि, वसूली की राशि तथा किश्त आदि का विवरण होगा, संस्था के वार्षिक आमसभा में समस्त सदस्यों को प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- xi. योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् लाभान्वित ऋणी सदस्यों को आगामी एक वर्ष तक संस्था से पुनः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी तथा किसी अन्य ऋण प्रकरण में जमानतदार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
- xii. योजना लागू करने हेतु कोई अन्य वित्तीय या वैधानिक औपचारिकता या अनुमति आवश्यक हो तो उसे पूरा करने का दायित्व संबंधित संस्था की होगी।
- xiii. एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन में संबंधित संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43(A) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

- xiv. प्रकरणों के निपटारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08/06/2023 "Framework for Compromise, Settlements & Technical write-offs" में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
- xv. समझौता के क्रियान्वयन हेतु गठित सलाहकार कमेटी द्वारा प्रकरणवार ऋणों के उपयोग का भौतिक सत्यापन तथा एकमुश्त समझौता योजना के शर्तों के तहत पात्रता का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- xvi. योजना के क्रियान्वयन में सभी शर्तों के पालन की सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संवर्ग समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधक की होगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में अधिनियम, नियम तथा उसके अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के इस संबंध में जारी नवीनतम दिशा-निर्देश से विचलन न हो, का विशेष ध्यान रखा जावे।

  
(रमेश कुमार शर्मा)  
प्रबंधक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़